किसान भाइयों के लिये खुशखबरी
पशुधन बीमा योजना

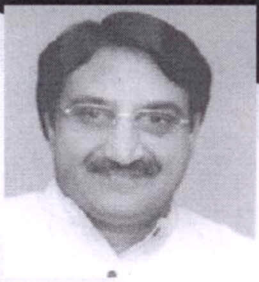

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

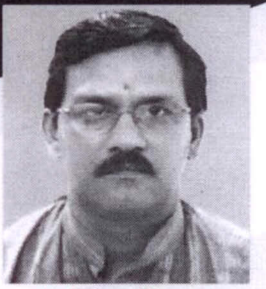

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
कृषि एवं पशुपालन मंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

योजना की विशेषताएं

- योजना के अन्तर्गत किसी भी पशुपालक के अधिकतम दो स्वस्थ दुधारू पशु(गाय / भैंस), जिनका दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर प्रति ब्यांत से अधिक हो, का बीमा किया जाता है।
- पशुधन बीमा हेतु प्रीमियम दरें पशु के बाजार मूल्य का 01 वर्ष एवं 03 वर्ष हेतु क्रमशः 3.08% एवं 8.71% है।
- बीमा टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा किया जा रहा है।
- बीमा प्रीमियम की धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान, भारत सरकार की अनुदानराशि से तथा शेष 50 प्रतिशत बीमा प्रीमियम का भुगतान पशुपालक को स्वयं करना होगा।

योजनाः- देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपद में प्रारम्भ

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने जनपद / क्षेत्र के
पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ अथवा यू.एल.डी.बी.
कार्यालय (233 / 1, वसन्त विहार, देहरादून, दूरभाष – 0135–2761725) या
बीमा कम्पनी टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0
सिटी सेन्टर, प्रथम तल, 56, राजपुर रोड़, देहरादून,
दूरभाष – 0135– 6454229, 6450304 / 06 मो0 9495055946, 9411416722
से सम्पर्क कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

गाय भैंस का बीमा हो, हो आर्थिक समृद्धि का विस्तार, आधा प्रीमियम आप भरें, भरे आधा सरकार

Size 16cm(w) x 25cm(h)= 400 sqcm

पशुधन बीमा योजना

प्रस्तावना :

भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से उत्तराखण्ड में **'पशुधन बीमा योजना'** का संचालन पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के सहयोग से **उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड** (यू.एल.डी.बी.) द्वारा किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार द्वारा देश के 300 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसमें उत्तराखण्ड के 06 जनपदों यथा हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं चमोली भी सम्मिलित हैं।

पशुपालन राज्य के पशुपालकों के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह पशुपालको के साथ–साथ प्रदेश के विकास का स्रोत एवं संसाधन है, फलस्वरूप राज्य के पशुओं की नस्ल में सुधार, रोगों पर नियंत्रण, रखरखाव, खानपान एवं पशुप्रबन्धन के साथ–साथ पशुओं तथा पशुपालकों की विश्वसनीय सुरक्षा तकनीक भी आज की महती आवश्यकता है,

उद्देश्य :

इस योजना के द्वारा पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालको को उससे होने वाली अपूरणीय आर्थिक क्षति से बचाया जाना।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर समुन्नत हो।

कार्यान्वयन एजेन्सी :

पशुपालन एवं डेयरी विकास/दुग्ध संघ के माध्यम से **उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलमेन्ट बोर्ड।**

आच्छादित जनपद :

हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं चमोली।

आच्छादित लाभार्थी समूह :

जनपद के किसी भी पशुपालक, जिसके पास दुधारू पशु हों, के अधिकतम दो उन्नत दुधारू पशु (गाय/भैंस), जिनका दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर प्रति ब्यात से अधिक हो, का बीमा किया जा सकेगा।

चयन प्रकिया :

योजनान्तर्गत पशुओं का चयन मानक –**स्वस्थ दुधारू गाय** : आयु 02 वर्ष से 10 वर्ष तक तथा **स्वस्थ दुधारू भैंस** : आयु 03 वर्ष से 12 वर्ष तक होनी चाहिए।

इस बीमा योजना में 1500 लीटर प्रति ब्यात अथवा अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशु ही लिये जायेगें।

बीमा दरें :

01 वर्ष की पॉलिसी हेतु प्रीमियम दर बीमित धनराशि का 3.08 प्रतिशत एवं **03 वर्ष** की पॉलिसी हेतु प्रीमियम दर बीमित धनराशि का 8.71 प्रतिशत (सेवा कर सहित) होगी।

बीमा अवधि :

अधिकतम 03 वर्ष की। बीमित पशु का बीमा योजना अवधि में विक्रय हो जाने पर बीमा पॉलिसी के स्थानान्तरण के लिए बीमा कम्पनी को अवगत कराया जाना होगा।

कार्यान्वयन :

कार्यान्वनयन में लगे विभाग/संस्थाएं–यू.एल.डी.बी.→ पशुपालन/डेयरी विकास/दुग्ध संघ के पशुचिकित्साधिकारी→ बीमा कम्पनी (टाटा AIG जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 → बीमा एजेन्ट।

बीमा कम्पनी द्वारा सभी विकास खण्डों में इस योजना हेतु बीमा एजेन्ट नियुक्त किये जायेगे, जो बीमा हेतु पशुओं/पशुपालकों का चयन करके बीमा करवाने हेतु उन्हें प्रेरित/प्रोत्साहित करेंगे।

पशुओं के चयन के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारियों (विभाग में कार्यरत राजकीय पशुचिकित्साधिकारी एवं डेयरी विभाग/दुग्ध संघों में कार्यरत पशु चिकित्सक) द्वारा बीमा कराये जा रहे पशुओं की पॉली यूथेरीन लेजर प्रिन्टेड टैग द्वारा टैंगिंग, परीक्षण बाजार मूल्य एवं स्वास्थ्य प्रमाण तथा पशु बीमा क्लेम हेतु वांछित अन्य प्रमाण पत्र यथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि निःशुल्क बनाया जायेगा। इसके समक्ष सम्बन्धित पशुचिकित्सक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने हेतु रू0 50 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने हेतु रू0 100 यू.एल.डी.बी. द्वारा दिया जायेगा।

बीमा एजेन्ट पशुपालक से बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत धनराशि पशुपालक से लेकर उसे सम्बन्धित पशुचिकित्सक को उपलब्ध करायेगा, और स्थल पर ही बीमा पॉलिसी तैयार करके बीमा कम्पनी, बीमित पशु मालिक तथा यू.एल.डी.बी. को भेजेगा।

पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा 24 घंटे के अन्दर आवश्यक रूप से मृत्यु की सूचना दूरभाष व अन्य साधनों द्वारा बीमा कम्पनी को देना होगा और सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी मृत पशु का टैग सहित कान एवं पशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा बीमा क्लेम फार्म आदि अविलम्ब बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायेगा।

अनुश्रवण :

मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, द्वारा जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के माध्यम से योजना का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा, जो सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियों के माध्यम से बीमित पशुपालकों/पशुओं के सम्पर्क में रह कर अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध करायेगें। ये सूचनाएं आवश्यकतानुसार राज्य व केन्द्र सरकार को यथा समय उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना की विशेषताएं एवं लाभ :

1. इस योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को होने वाली आर्थिक हानि से बचाया जा सकेगा क्योंकि पशु के मृत्यु की दशा में बीमित धनराशि का भुगतान पशुपालक को बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
2. पशुपालक को पशुओं का बीमा कराने हेतु बीमा की प्रीमियम राशि का सिर्फ 50 प्रतिशत अंश ही बीमा कम्पनी को अदा करना होगा। क्योंकि शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी को यू.एल.डी.बी. द्वारा सीधे किया जायेगा।
3. इस योजना के द्वारा पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालको को उससे होने वाली आपूरणीय आर्थिक क्षति से बचाया जा सकेगा।
4. ग्रामीण पशुपालकों को अतिरिक्त रोजगार के संसाधन सुलभ होंगे और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप उनकी आय में अभिवृद्धि होगी, जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उन्नत होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क कार्यालय :

कार्यदायी संस्था : यू.एल.डी.बी. देहरादून, दूरभाष नम्बर – 0135 –2761725

बीमा कम्पनी : **टाटा AIG जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0**
दूरभाष नम्बर – 0135–6454229

जनपद स्तरीय :

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार,	दूरभाष नम्बर – 01334– 239978, 239034
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उधमसिंह नगर,	दूरभाष नम्बर – 05944–242787
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून	दूरभाष नम्बर – 0135–2712572
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, नैनीताल	दूरभाष नम्बर – 05942–248367
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	दूरभाष नम्बर – 05964–225319
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली	दूरभाष नम्बर – 01372–252273

प्रभारी, दुग्ध अवशीतन केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)	दूरभाष नम्बर – 01332– 279012
सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उधमसिंह नगर,	दूरभाष नम्बर – 05944–242486
सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ, देहरादून	दूरभाष नम्बर – 0135 –2787225, 2787955
सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ, नैनीताल,	दूरभाष नम्बर – 05945–268309, 268061
सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ, पिथौरागढ़,	दूरभाष नम्बर – 05964–225329
सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ, चमोली,	दूरभाष नम्बर – 01363–247420